बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 132/09–10

1 परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला कृषि कार्यालय सारण, छपरा।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – 2005–06 से 07–08

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – निदेशक कृषि बिहार पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम,पदनाम और कार्यालय – श्री धनंजय कुमार त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक,सारण, प्रमण्डल छपरा।

(ङ.) अंकेक्षणावधि में लेखा प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम,पदनाम तथा कार्यकाल –

1. श्री सोमारू राम, जिला कृषि पदा0 छपरा 01.04.05 से 31.03.08
2. श्री पारसनाथ राय,प्रधान सहायक 01.04.05 से 31.03.08
3. श्री वीरेन्द्र प्रसाद यादव,लेखापाल 01.04.05 से 30.09.07
4. श्री त्रिभुवन प्रसाद 1.10.04 से 31.03.08
5. श्री जवाहर प्रसाद,रोकड़पाल 1.04.05 से 10.11.05
6. श्री ललन प्रसाद यादव 11.11.05 से 31.03.08

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारी का नाम एवं पदनाम –

1. श्री शिवदत प्रसाद सिन्हा, जिला कृषि पदा0
2. श्री अशोक कुमार तदैव

3. श्री मु0 रफी प्रधान सहायक।

4. श्री त्रिभुवन प्रसाद, लेखापाल।

5. श्री दिनेश प्रसाद रोकड़पाल ।

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम – 1. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, वरीय अंकेक्षक–2,दलनेता।

2. श्री देवकांत झा,वरीय अंकेक्षक –2

3. श्री महेश कुमार, तदैव

(ज) अंकेक्षक प्रारंभण तिथि – 18.05.2009

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 12.09.2009

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्यदिवस – 71 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची – अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'अ' पर दी गयी है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

वित्त विभागीय ज्ञापांक 3286 एफ0 ए0 दिनांक 15.9.60 के में निहित निदेशानुसार

जिला कृषि कार्यालय, सारण,छपरा के वर्ष 2005–06 से 07–08 का अंकेक्षण प्रस्तुत लेखाभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। उक्त कार्यालय द्वारा कोषागार में जमा की गई राशियों एवं कोषागार से निकासी की गई राशियों का सत्यापन शत्प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। अंकेक्षण में पूर्व का कोई अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुपालनार्थ प्रस्तुत नही किया गया जिससे अनुपालन की स्थिति शून्य रही।

(ड़) वित्तीय परिशंसा –

वर्ष 2005–06 से 07–08 के आवंटन एवं व्यय की विस्तृत विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'आ' पर दी गई है। योजना मदों में केन्द्रांश एवं राज्यांश से प्राप्त आवंटित राशि के अन्तर्गत ही व्यय किया गया है। गैर योजना मद में भी प्राप्त आंवटन से कम व्यय किया गया । बचत की राशियाँ संबंधित वित्तीय वर्षो में प्रत्यर्पित कर दी गई है।

(1) अंकेक्षण प्रारंभण की तिथि दिनांक 18.5.09 को रोकड़ के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नही कराया गया जो वित्त (अंकेक्षण) विभागीय पत्रांक –503/29.1.76 के प्रतिकूल है। उक्त दिनांक को रोकड़ पुस्त के संवरण का रोकड़ विस्तार निम्नरूपेण अंकित पाया गया।

1.	परित अभिश्रव	— 17,39,316.25
2.	अग्रिम	— 6,21,541.00
3.	जिला पदा0 के नाम मे स्टेट बैंक में छपरा में जमा राशि	— 1,10,572.31
4.	उपविकास आयुक्त के नाम से खाता में जमा राशि	— 100.00
5.	डिपोजिट एटकॉल	— 1930.00
6.	भारतीय स्टेट बैंक ,सारण के खाता में जिला कृषि पदा0 सारण के नाम में जमा राशि	— 2,27,24,348.00
7.	नकद	— 78,453.00

कुल योग — 2,52,76,260.56

(2) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि में रोकड़ पुस्त के क्रमशः प्रारंभण रोकड़ एवं संवरण रोकड़ का वार्षिक व्यौरा निम्नरूपेण अंकित किया हुआ पाया गया।

(क) दिनांक 1.4.05 का प्रारंभण रोकड़ रू0 30,60,262.56 पै0 अंकित था जिसके रोकड़ का विस्तार निम्नरूप में अंकित था।

1.	जिला कृषि पदा0,छपरा के खाता सं0 01000050006 में जमा राशि —		8,91,730.00
2.	जिला पदा0 ,छपरा के खाता में जमा राशि —		1,10,572.31
3.	उपविकास आयुक्त छपरा के खाता में जमा राशि —		100.00
4.	डिपोजिट एट का0	—	1930.00
5.	अस्थायी अग्रिम	—	9,88,844.00
6.	ड्राफ्ट	—	1,45045.00
7.	परित अभिश्रव	—	8,94,867.44
8.	नकद	—	27,173.81

कुल योग— 30,60,262.56

(ख) दिनांक 31.3.06 के संवरण शेष का व्यौरा निम्नरूपेण अंकित पाया गया।

संवरण रोकड़ का विस्तार	संवरण शेष का विस्तार
1. कार्यालय व्यय — 190160.40	वेतन — 2,25,714.00
2. मोटरगाड़ी — 166059.12	भत्ते — 74,710.00
3. परिवहन — 157773.83	स्थायी अग्रिम — 295.00
4. मकान किराया — 3840.00	स्थायी अग्रिम — 295.00

5. ट्रैक्टर मरम्मति – 11437.60
6. टेलीफोन – 28319.00
7. मजदूरी – 76581.65
8. सोनपुर मेला – 2,68,142.50
9. अस्थायी अग्रिम – 12,61,678.00
10. जिला पदा0 के – 110572.31
खाता में
11. विकास आयुक्त के – 100.00
खाता में
12. डिपाँजिट एट – 1930.00
कॉल
13. जिला कृषि पदा0 – 1603381.00
के खाता में
14. नकद – 3456.15

कुल –38,83,439=56

भुगतान की प्रत्याशा में निकाली
गई राशि – 23,53,427.10
प्रकीर्ण – 12,29,293,46

कुल योग – 38,83,439.56

(ग) दिनांक 31.3.07 के संवरण शेष का व्योरा निम्नलिखित रूप में अंकित किया हुआ पाया गया।

संवरण शेष का विस्तार

वेतन – 1,58,233.00
भत्ते – 76,287.00
स्थायी अग्रिम –295.00
अग्रिम की राशि – 56,35069.10
प्रकीर्ण – 12,27,835.46

कुल योग –70,97,719.56

रोकड़ का विस्तार

1. कार्यालय व्यय – 216168.00
2. मोटरगाड़ी – 166059.12
3. परिवहन – 184773.83
4. मकान किराया – 3840.00
5. ट्रैक्टर मरम्मति – 11437.60
6. टेलीफोन – 28319.00
7. मजदूरी – 76581.65
8. सोनपुर मेला – 2,68,142.50
9. अस्थायी अग्रिम – 1685286.00
10. जिला पदा0 के – 110572.31

खाता में

11. उपविकास आयुक्त के – 100.00
खाता में

12. डिपाँजिट एट – 1930.00
कॉल

13. जिला कृषि पदा0 – 43,41,110.00
के खाता में

14. नकद – 3399.55

कुल योग – 70,57,719.56

(घ) दिनांक 31.3.08 के संवरण शेष का व्योरा निम्नांक्ति रूप में अंकित पाया गया।

संवरण शेष का विस्तार

1 वेतन – 7105.00

2 भत्ते – 8533.00

3 स्थायी अग्रिम –295.00

4 अग्रिम की राशि – 84,39940.10

5 प्रकीर्ण – 1229335=46

कुल योग – 96,85,208.56

रोकड़ का विस्तार

1. कार्यालय व्यय – 221118.21
2. मोटरगाड़ी – 166059.12
3. परिवहन – 209773.83
4. मकान किराया – 3840.00
5. ट्रैक्टर मरम्मति – 11437.60
6. टेलीफोन – 30717.00
7. मजदूरी – 76581.65
8. सोनपुर मेला – 2,68,142.50
9. अस्थायी अग्रिम – 1720765.00
10. जिला पदा0,सारण
    के खाता सं0 –34275
    में जमा – 110572.31
11. टेन्ट शामियाना
    घान बीज – 212151.00
12. डिपाँजिट एट – 1930.00
    कॉल
13. उप विकास आयुक्त के

खाता सं0 – 34276 में जमा राशि – 100.00

14. किसान समायोजन पर व्यय – 99610.00

15. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कृषक पाठशाला पर व्यय – 44125.00

16. आला से संबंधित व्यय – 16620.00

17. प्रशिक्षण से संबंधित पारित अभिश्रव – 35,000.00

18. नकद राशि – 1,32,900.00

19. जिला कृषि पदा0 सारण के खाता सं0 – 10549192032 में जमा राशि – 63,23,765.34

कुल योग – 96,85,208.56

3. जिला कृषि कार्यालय ,सारण द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार कार्यालय के स्वकृित /कार्यरत/रिक्त बल का व्योरा निम्नरूपेण दिया गया है।

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	जिला कृषि पदाधिकारी	1	1	–	
2	जिला योजना एवं मूल्यांकन पदा0	1	–	1	
3	सहायक कृषि पदा0 (रसायन)	1	–	1	
4	सहायक कृषि पदा0 (वनस्पति)	1	1	–	
5	संख्यिकी सहायक	1	1	–	
6	प्रधान लिपिक	1	1	–	
7	लेखापाल	1	1	–	
8	आयु टंकक	1	–	–	
9	लिपिक	4	4	–	
10	जीप चालक	1	1	–	
11	ट्रक चालक	1	1	–	
12	ट्रैक्टर चालक	1	1	–	
13	ट्रैक्टर खलासी	1	1	–	
14	पदचर	2	2	–	
15	आदेशपाल	1	1	–	

16	चौकीदर	1	1	—	

जिला कृषि कार्यालय सारण में लगभग सभी पद कार्यरत है, केवल दो पद ही रिक्त है जिनपर नियुक्ति आवश्यक है।

(2) वेतन में गलत उत्क्रमण के कारण वेतनादि में अधिक भुगतान की राशि रू0 2,90,877.00 वसूली योग्य :—

सेवा पुस्तों की जाँच में पाया गया कि श्री रमेश ठाकुर की नियुक्ति कृषि निदेशक ,बिहार ,पटना के पत्रांक —2/ए जे0 308/89—540 दिनांक 16.1.93 के द्वारा संगणक के पद पर वेतनमान 975— 25—1150—30 — 1540 में दिनांक 22.1.93 को की गयी थी। उपर्युक्त वेतनमान में श्री ठाकुर का वेतन दिनांक 21.1.2000 तक सत्यापित किया हुआ पाया गया। पंचम वेतन पुनरीक्षण के समय श्री ठाकुर का वेतनमान 1200—30—1800 में उनकी नियुक्ति की तिथि 22.1.93 से सक्षम पदा0 के आदेश के बिना एवं बिना औचित्य का उत्क्रामत कर दिया गया और साथ ही उक्त उत्क्रमित वेतनमान के आधार पर उनका वेतन निर्धारण वेतनमान 4000—100—6000 में दिनांक 1.1.96 को रू0 4000 एवं 1.4.97 को रू0 4200.00 कर दिया गया। जबकि उनका वेतन निर्धारण वेतनमान 975—1540 के मूल कोटि के वेतनमान 3050—75—3950—80—4590 में दिनांक 1.1.96 को 3200.00 तथा 1.4.97 को 3350.00 ही किया जाना चाहिए था। फलतः उनके द्वारा देय वेतनादि से अधिक भुगतान प्रतिमाह प्राप्त किया गया था। पुनः कृषि निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक —5688 दिनांक 1.8.08 द्वारा उन्हे ए0 सी0 पी0 योजनान्तर्गत दी जाने वाली सुविधा के अनुसार 22.1.05 से प्रथम ए0 सी0 पी0 के रूप में वेतनमान 5000—150—8000 दे दिया गया जो कि सांख्यिकी सहायक का वेतनमान है न कि सांख्यिकी संगणक का। इस प्रकार प्रथम ए0 सी0 पी0 के फलस्वरूप उनका वेतन निर्धारण दिनांक 22.1.05 को रू0 5150.00 किया गया जबकि ए0 सी0 पी0 योजनान्तर्गत वेतनमान श्रृंखला में उन्हें वेतनमान 3200—85—4900 में प्रोन्नत कर दिनांक 22.1.05 को रू0 4050.00 निर्धारित किया जाना चाहिए था। पुनश्यः छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार जनवरी '09 से पे बैड 9300—34800 में ग्रेड पे 4200.00 के साथ श्री ठाकुर के द्वारा रू0 15380.00 प्राप्त किया गया था। जबकि वास्तविक निर्धारण के अनुसार रू0 10610.00 ही था। इस प्रकार गलत प्रोन्नति एवं उत्क्रमण के कारण श्री ठाकुर को 22.1.93 से फरवरी '09 तक वेतनादि में कुल रू0 2,90,877.00 का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ड़' पर दिया गया है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। सरकार एवं प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से उपर्युक्त अनियमितता एवं अधिक भुगतान की ओर आकृष्ट किया जाता है साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि अधिक भुगतान की कुल राशि रू0 2,90,877.00 संबंधित

जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलकर सरकारी कोष के उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा किया जाय एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय।

(3) गलत उत्क्रमण एवं प्रोन्नति के कारण वेतनादि में अधिक भुगतान की राशि रू0 36021=40 वसूली योग्य :–

सेवा पुस्तों की जाँच में पाया गया कि श्री गोरखमहतों की प्रथम नियुक्ति लिपिक पद पर संयुक्त कृषि निदेशक तिरहुत प्रमंडल,मुजफ्फरपुर के आदेश सं0 212 दिनांक 17.5. 1975 के अनुसार वेतनमान 220–4–240 द0 रो0 – 290–5–315 पर दिनांक 27.5.1975 को की गई थी। चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण में उन्हे वेतनमान 580–10–610–15–770 द0 रो0 15–860 में दिनांक 1.4.81 को रू0 665.00 प्राप्त हुआ। विभागीय परीक्षा दिनांक 23.9.85 को उतीर्ण होने के फलस्वरूप उन्हे उक्त तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हुआ था। उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप उन्हे वेतनमान 680–10–890 द0 रो0 15–965 में रू0 815.00 का निर्धारण एवं भुगतान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात् श्री महतों का वेतनमान सक्षम पदाधिकारी के आदेश बिना ही एवं बिना औचित्य के 730–1080 में दिनांक 23.9.85 से ही उत्क्रमित कर दिया गया जो अनियमित है। उक्त उत्क्रमण के फलस्वरूप उनका वेतन दिनांक 23.9.85 को रू0 820.00 निर्धारित किया गया। इस प्रकार गलत ढंग से वेतन को उत्क्रमित कर उन्हे वेतनादि में दिनांक 23.9.85 से फरवरी '89 तक अधिक भुगतान किया गया जिसकी विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट –इ पर दी गयी है।

पुनः श्री महतों को छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप लिपिक सम्वर्ग के मूलकोटि का वेतनमान 4000–100–6000 दिनांक 1.1.96 से प्राप्त हुआ ए0 सी0 पी0 लाभ योजनान्तर्गत श्री महतों को प्रथम ए0 सी0 पी0 एवं द्वितीय ए0 सी0 पी0 के रूप में क्रमशः 4500–125–7000 एवं 5500–175–9000 का वेतनमान सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया किन्तु नियमतः उन्हे द्वितीय ए0 सी0 पी0 का लाभ ए0 सी0 पी0 नियमावली में वर्णित श्रृंखला में वेतनमान 5000–150–9000 में देय है। इस प्रकार श्री महतों को द्वितीय ए0 सी0 पी0 का लाभ वेतनमान 5500–175–9000 में देकर उन्हें वेतनादि में अधिक राशि का भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्अ –'ई' पर दिया गया है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया।

श्री महतों को अधिक भुगतान की गई कुल राशि रू0 36021=40 (536. 40+35,485.00) संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलकर सरकारी कोष के उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय ।

(4) निर्धारित दर से अधिक मानदेय की भुगतान की राशि रू0 3300.00 वसूली योग्य :–

आई0 सी0 डी0 सी0 योजनान्तर्गत कृषक प्रशिक्षण से संबंधित मानदेय भुगतान की जाँच में पाया गया कि विभिन्न अभिश्रवों द्वारा विभिन्न तिथियों को कृषक प्रशिक्षण के लिए मानदेय का भुगतान रू0 200.00, 250.00 एवं 300.00 का भुगतान प्रति प्रशिक्षक प्रति दिन के दर से किया गया था। एक ही कार्य के लिये तीन विभिन्न दरों पर भुगतान अनियमित है। जबकि मानदेय का निर्धारण दर प्रति प्रशिक्षक रू0 200.00 था। अधिक भुगतान का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'उ' पर दिया गया है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। इस प्रकार अधिक भुगतान की कुल राशि रू0 3300.00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलकर सरकारी कोष के उचित शीर्ष में जमा किया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय।

(5) यात्रा भत्ता के रूप में अधिक भुगतान की राशि रू0 1862.00 वसूली योग्य :–

वर्ष 06–07 में 07–08 के यात्रा–भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रतियों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न पदा0/कर्मचारियों को विभिन्न यात्रा भत्ता विपत्रों द्वारा विभिन्न दिनांको को यात्रा–भत्ता का भुगतान किया गया था। उक्त विपत्रों के द्वारा पैदल दूरी के लिए एवं दैनिक भत्ता के रूप में अनुमान्य दर से रू0 1862.00 का अधिक भुगतान किया हुआ पाया गया जिसकी विस्तृत विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ऊ' पर दी गयी है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। ऐसी स्थिति में अनुपालन दर से अधिक भुगतान की राशि रू0 1862.00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलकर सरकारी कोष के उचित शीर्ष में जमा किया जाय साथ ही प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय।

(6) रू0 4,51,652.00 की राशि का विचलन कर व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

(क) लेखा वर्ष 05–06 के व्ययों की जाँच में पाया गया कि केन्द्र प्रायोजित मैक्रोमोड मैनेजमेट (90:10) के अन्तर्गत कृषि सघन (गहन) प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमान्तर्गत वर्ष 05–06 में

केन्द्रांश – 5,22,000.00

राज्यांश – 58,000.00

कुल योग – 5,80,000.00 का आवंटन प्राप्त हुआ था। उक्त आवंटन के विरूद्ध विपत्र सं0 –122/05–06 एवं 123/05–06 द्वारा क्रमशः रू0 1,95,527.00 एवं रू0 21,725.00 कुल रू0 2,17,252.00 की निकासी सरकारी कोष से 28.3.06 को की गयी थी। प्रस्तुत अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि रू0 2,12,212.00 का भुगतान दिनांक 1.4.06 को मे0 निक्की टेन्ट हाउस, करीम चौक कटहरी बाग रोड, छपरा को सोनपुर मेला में पंडाल सजाने पर व्यय किया गया था। शेष राशि का व्यय पौधा संरक्षण की प्रदर्शनी

पर रू0 3750.00 तथा पुरस्कार वितरण पर रू0 1290.00 का भुगतान किया हुआ पाया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण राशि रू0 2,17,252.00 (2,12,212.00 +3750.00+1290.00) का व्यय मेला आयोजन में किया गया जबकि उक्त राशि का व्यय सधन कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण के लिए कृषकों के सफल कृषि प्रशिक्षण पर किया जाना चाहिए था। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया।

(ख) वर्ष 05–06 के व्ययों की जाँच क्रम में पाया गया कि क्रेन्द्र प्रायोजित मैक्रोमोड मैनेजमेट (90.10) के अन्तर्गत कृषि यांत्रिकरण हेतु वर्ष 05–06 में

केन्दांश – 18,98,820.00

राज्यांश – 2,10,980.00

कुल योग – 21,09,800.00 का आंवटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध विपत्र सं0 – 127/05–06 एवं 128/05–06 द्वारा क्रमशः रू0 12,00,000.00 एवं रू0 1,05,000.00 कुल रू0 13,05,000.00 की निकासी सरकारी कोष से दिनांक 30.3.06 को की गयी थी। उक्त निकासी के विरूद्ध विपत्र सं0 127/05–06 द्वारा रू0 13,80,000.00 एवं विपत्र सं0 128/05–06 के द्वारा रू0 1,05,000.00 कुल राशि रू0 1485,000.00 का भुगतान दिनांक 31.3.06 को चेक सं0 312054 से 312099 कुल 46 चेक @ रू0 30,000.00 =46X30000=13,80,000.00 एवं चेक सं0 – 3121000 से 312169 कुल 70 चेक 1500.00 कृषि यांत्रिकीकरण हेतु अनुदान के रूप में किया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया।

(ग) लेखा वर्ष 05–06 के व्ययों की जाँच में पाया गया कि मैक्रोमेड कृषि यांत्रिकीकरण के अन्तर्गत अनुदान हेतु प्राप्त राशि से अभिश्रव सं0 –1/05–06 एवं 2/05–06 द्वारा क्रमशः रू0 48,960.00 एवं रू0 5440.00 कुल रू0 54,400.00 का भुगतान मे0 मेहता केमिकल्स, राजा मार्केट,एक्जीविशन रोड, पटना को स्प्रे मशीन के क्रय के लिए दिनांक 31.3.06 को किया गया था। उक्त क्रय हेतु माँग सक्षम पदा0 का क्रयादेश,कोटेशन एवं भंडारण कुछ भी अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। उक्त राशि की निकासी विपत्र सं0 –129/05–06 एवं 130/05–06 एवं 130/05–06 द्वारा क्रमशः रू0 48960.00 एवं 5440.00 दिनांक 30.3.06 को दी गई थी। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया।

इस प्रकार कंडिका (क),(ख) एवं (ग) के विचलन द्वारा व्यय की कुल राशि रू0 4,51652.00 (2,17,252.00+1,80,000.00+54,400.00) की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आवंटन प्राप्त कर व्यय की राशि को विनियमित की कार्रवाई कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(7) सामानों की ढुलाई पर किया गया रू0 30,000.00 का व्यय आपूत्ति अन्तार्गत :–

वर्ष 06–07 के कार्यालय–व्यय से संबंधित व्ययों की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 87/06–07 के अन्तर्गत अभिश्रव सं0 23/16.3.07 एवं 24/16.3.07 द्वारा दलहनी ढुलाई पलदारी सहित के लिए क्रमशः रू0 12000.00 एवं रू0 18,000.00 कुल रू0 30,000.00 का भुगतान श्री अरूण राय,ट्रकचालक,उमानगर,छपरा को (उनके ट्रक सं0– टाटा–407–296–500 द्वारा) दिनांक 1.8.07 को किया गया था। उपर्युक्त अभिश्रवों पर निम्नांकित विवरण अंकित नही पाये गये।

1. किन–किन प्रखंडो में ढुलाई की गयी।
2. कितनी मात्रा के बीजों ढुलाई की गयी।
3. विभिन्न प्रखंडो के लिए ढुलाई का दर
4. भाड़ा भुगतान हेतु बीज आपूर्त्ति से संबंधित बीजक एवं अन्य साक्ष्य
5. किस दिनांक को ढुलाई की गयी।
6. संबंधित ढुलाई हेतु मितव्ययिता बरतने हेतु निविदा कोटेशन आदि।

उपर्युक्त विवरणों एवं साक्ष्यो के बिना किया गया व्यय संदेहात्मक प्रतीत होता है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। अतः रू0 30,000.00 के व्यय की जाँच सक्षम पदाधिकारी से कराकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय। अन्यथा की स्थिति में राशि वसूलनीय होगी। जाँच तक व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(8) विभागीय जीप की मरम्मति पर किया गया रू0 25,446.00 व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 06–07 के जीप मरम्मति से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न विपत्रों एवं अभिश्रवों के द्वारा विभागीय जीप सं0 बी0 एच0 डी0 5948 की मरम्मति एवं रख–रखाव पर कुल रू0 25,446.00 का व्यय विभिन्न दिनांकों को किया गया था। जिसकी विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ए' पर दी गयी है। उक्त व्यय के विरूद्ध वित्त विभागीय ज्ञापांक –डी0 पी0 –4–10–08/87–7723 वि0 दिनांक 24.12.88 के अनुसार

1. एक मोटर गाड़ी पर 500/– से अधिक खर्च के लिए मोटर गाड़ी निरोधक या कार्यपालक अभियंता के अन्यन पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियंता का प्रमाण पत्र
2. कार्यालय प्रधान जिन्हें मोटरगाड़ी की मरम्मति एवं पुर्जे के बदलाव पर प्रतिवर्ष रू0 5000.00 व्यय करने का अधिकार है।
3. मरम्मति एवं पुर्जो के बदलाव का हर कार्य एक पंजी में दर्ज होना चाहिए।
4. पुराने कल पुर्जो की बिक्री निलामी से प्राप्त आय की स्थिति इत्यादि अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराये गये। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। व्यय के लिए सक्षम पदाधिकारी की इस मनमाने ढंग से किए गए व्यय की

ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उक्त स्थिति में व्यय की औचित्यता प्रमाणित नही होती फलतः रू0 25,446.00 के व्यय की राशि की जाँच सक्षम पदाधिकारी से कराकर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को भी अवगत कराया गया। जाँच तक व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(9) डीजल के क्रय पर किया गया रू0 13487.45 व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

डीजल के क्रय से संबंधित अभिश्रवों से जीप सं0 बी0 एम0 डी0 5948 के लॉग बुक के सत्यापन क्रम में पाया गया कि विभिन्न विपत्रों एवं अभिश्रवों द्वारा विभिन्न दिनांको को क्रय किए गए रू0 13487.45 के डीजल की मात्रा उक्त लॉग बुक में प्रविष्ट नही की गई थी। लॉग बुक में अप्रविष्ट डीजल की मात्रा के क्रय की औचित्यता प्रमाणित नही होती। उक्त क्रय का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ऐ' पर दिया गया है।

क्योकि व्यय की गई राशि रू0 13487.45 की जाँच सक्षम पदाधिकारी से कराकर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत कराया जाय तबतक व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(10) न्यूनतम से अधिक दर के कारण रू0 12,600.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

समेकित सीरियल विकास कार्यक्रम के अभिश्रवों की जाँच क्रम में पाया गया कि मे0 पोपुलर डेकोरेट्स एवं टेन्ट हाउस,सोनपुर एवं मे0 निक्की टेन्ट हाऊस,छपरा को मेले में हुई प्रदर्शनी एवं छपरा नगरपालिका किसान मेला में आपूर्त्ति किए गए सामानों के क्रम में 6 पीस स्टोल के लिए क्रमशः रू0 9000.00 एवं रू0 4800.00 का भुगतान विपत्र सं0 115/06–07 द्वारा दिनांक 3.8.07 को किया गया इस प्रकार एक ही प्रकार के समान अदद के लिए रू0 4200.00 (9000–4800) का अधिक भुगतान कर दिया गया। इसी प्रकार मे0 क्यामु टेन्ट हाऊस गरखा एवं मे0 व्याहुत पंडाल टेन्ट हाउस,मढ़ौरा को भी 6 पीस स्टॉल के लिए क्रमशः रू0 9000.00 एवं 9000.00 का भुगतान दिनांक 3.8.07 को किया गया था। उक्त आधार पर उक्त दोनों एजेन्सियों को भी क्रमशः रू0 4200(9000–4800) एवं 4200.00 का अधिक भुगतान किया गया। स्पष्ट है कि रू0 4800=00 के लागत पर ही छः पीस का टेंट उपलब्ध था। इस प्रकार उपर्युक्त तीन एजेन्सियों को कुल रू0 12,600.00(4200.00+4200.00+4200.00) का अधिक भुगतान किया गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया।

अतः अधिक भुगतान की कुल राशि रू0 12,600.00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर कोषागार के उचित शीर्ष में जमा किया जाय साथ ही प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(11) अस्थायी अग्रिम की राशि रू0 6,21,541.00 असमायोजित :–

अंकेक्षण प्रारंभण की तिथि दिनांक 18.5.09 को प्रस्तुत रोकड़ के विस्तार से ज्ञात हुआ कि उक्त दिनांक तक विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न दिनांको को विभिन्न कार्यो के लिए भुगतान की गई अस्थायी अग्रिम की कुल राशि रू0 6,21,541.00 असामंजित है जिसकी विस्तृत विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ओ' पर दी गई है। उक्त अग्रिम एक लम्बे समय से लंबित है जिसके कारण सरकारी उद्वेश्यों की पूर्ति नही हो सकी। उक्त स्थिति की ओर सरकार एवं प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। अग्रिम के सामंजन की दिशा में अलिम्ब प्रभावी कार्रवाई किया जाय। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(12) रू0 5,58,000.00 का भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :–

मैक्रोमोड योजनान्तर्गत उर्बरता प्रबंधन कार्य में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयों को लगाने हेतु भुगतीत अनुदानों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों को प्रति इकाई @ 2000.00 की दर से विभिन्न विपत्रों द्वारा रू0 5,58,000.00 का भुगतान दिनांक 31.3.07 को किया गया था। उक्त इकाइयों से संबंधित दस्तावेज आवेदन इत्यादि सक्षम पदाधिकारियों यथा संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों द्वारा सत्यापित नही पाये गये। इकाइयों निर्माण अर्ध निर्माण श्री रधुवीर दास सर्वकल्याण सेवा संस्थान, नयागांव ,सारण द्वारा मार्च 07 के प्रथम सप्ताह के विभिन्न तिथियों को किया गया था। आवेदन के साथ संलग्न कैशमेमो जो सादे कागज पर हस्तलिखित थे की प्रमाणिकता थी संदिग्ध जान पड़ती है। इकाइयों के निर्माणोपरान्त उनकी गुणवता से संबंधित सक्षम पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन भी अनुपलब्ध है। उक्त स्थितियों के कारण सम्पूर्ण इकाइयों की स्थापना संदिग्ध जान पड़ती है एवं तत् संबंधी भुगतान भी। अतएव सरकार एवं प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त वस्तुस्थितियों की उच्चस्तरीय जाँच करायी जाया एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग ,बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय तबतक उपर्युक्त भुगतान की कुल राशि रू0 5,58,000.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

भुगतान का विवरण

विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	किसे भुगतान किया गया	उद्वेश्य	भुगतीत राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
107 एवं	139	सर्व श्री सुरेश	दो इकाइयों के	5,56,000.00	31.3.07	

108/ 06–07		पंडित एवं अन्य 138 कुल –139	लिए रू0–4000. 00 प्रति इकाई रू0 2000 की दर से ।			
	140	श्री राजनाथ साह	एक इकाई @ 2000/–	2,000.00	31.3.07	

कुल योग – 5,58,000.00

(13) रू0 1,02,540.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 06–07 एंव 07–08 के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न विपत्रों एवं अभिश्रवों (अभिश्रव सं0 अंकित नही) द्वारा सोनपुर मेला में विभिन्न कार्यो के लिए कुल रू0 1,02,540.00 मजदूरी का भुगतान विभिन्न दिनांकों को किया गया था। मजूदरी भुगतान से संबंधित अभिश्रवों मे कितने मजदूर कितने दिनों के लिए कितने दरों पर कार्यरत थे इसका उल्लेख नही था। जिन अभिश्रवों में मजदूरों की संख्या एवं दर का उल्लेख था उनमें उतने मजदूर कितने दिनों के लिए कार्यरत थे इसका उल्लेख नही किया गया था साथ ही ऐसे कार्य ठेके पर कराये गये थे। जिसमें सम्पूर्ण मजदूरी का भुगतान एक ही व्यक्ति को किया गया था। भुगतान (मस्टर रॉल के समान) को सुनिश्चित किया जान आवश्यक था। उपर्युक्त प्रमाणों के अभाव में भुगतान की औचित्यता संदिग्ध जान पड़ती है। भुगतान का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'औ' पर दिया गया है। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। सरकार एवं प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से व्यय के लिए सक्षम पदाधिकारी के व्यय के नियमों के अवहेलना की ओर आकृष्ट किया जाता है। यह भी उल्लेखकीय है कि उक्त व्यय के लिए (सोनपुर मेला) कोई आवंटन भी प्राप्त नही था। अंकेक्षण द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जाँच कर एवं दोषी पाए जाते पर तदनुरूप कार्रवाई कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय तबतक रू0 1,02,540.00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(14) छाया प्रति पर किया गया अत्यधिक अनियमित व्यय रू0 14169=00 आपत्ति अन्तर्गत :–

वित्तीय वर्ष 05–06 से 07–08 के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न विपत्रों एवं अभिश्रवों के द्वारा रू0 14169.00 का व्यय विभिन्न दिनांकों को कागजातों के छायाप्रति कराने में बिना माँग एवं सक्षम पदा0 के व्ययादेश के किया गया था जो सरकारी कोष के व्यय के नियमों के प्रतिकूल है। व्यय का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'अ' पर दिया गया है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। इस प्रकार व्यय के नियमों की अवहेलना कर व्यय की गई रू0 14169=00 की राशि

व्यय की औचित्यता की जाँच कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत कराया जाय तबतक व्यय को आपत्तिन्तर्गत जात है।

(15) रू0 9490.00 का अनियमित भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :–

अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न विपत्रों एंव अभिश्रवों द्वारा विभिन्न सामग्रियों की आपूर्त्ति हेतु कुल रू0 9490.00 का भुगतान विभिन्न दिनांकों को किया गया था। उक्त भुगतान से संबंधित अभिश्रवो पर सामानों आपूर्त्ति का दर सामानों की संख्या इत्यादि का अंकन नही पाया गया। ऐसी स्थिति में व्यय की औचित्यत प्रमाणित नही होती। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया । व्यय की जाँच कर औचित्यता से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार,पटना को अवगत नही करा दिया जाता। तबतक व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	किसे भुगतान किया गया	समग्री का नाम	दर	भुगतीत राशि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
115 / 06–07	–	मे0 मशरसटेन्ट हाउस मशरख	सामियाना 40X40 कुर्सी–200 टेबुल–13	–	5640.00	3.8.07	दर अंकित नही
95 / 06–07	6 / 07–08	मे0 पंकडा टेन्ट हाउस,परसा	कुर्सी, लाउडस्पीकर आदि	–	1800.00	31.3.08	समग्री की सं0 एवं दर अंकित नही।
	9 / 07–08	श्री जालंधर क0 परसा	चाय–200.00 नाश्ता–1850.00	–	2050.00	31.3.08	
					9490.00		

(16) रू0 1,58,250.00 की निकासी आपत्तिन्तर्गत :–

वर्ष 2005–06 के रोकड़ पुस्त,विपत्र पंजी एवं आकस्मिकता पंजियों की जाँच में पाया गया कि आइसोपोम योजनान्तर्गत विपत्र सं0 16 / 05–06 एवं 17 / 05–06 द्वारा क्रमशः रू0 1,18,688.00 एवं 39,562.00 कुल रू0 1,58,250.00 की निकासी कर रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में दिनांक 11.8.05 को प्रविष्ट किया गया। उक्त राशि का व्यय रोकड़ के व्यय पक्ष में दिनांक 11.8.05 को जिला परिषद छपरा के खाता में (खाता सं0 अंकित नही) चालान द्वारा (चालान सं0 एवं दिनांक अंकित नही) जमा के रूप में दर्शाया गया। अंकेक्षण आपत्ति निर्गत करने के बाबजूद भी यह अंकेक्षण को नही बतलाया गया कि किस कारणवश उक्त राशि

की निकासी कर जिला परिषद की राशि दी गयी। उक्त राशि की निकासी की एवं जिला परिषद के खाता में जमा करने में औचित्यता से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय। तब तक व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

(17) लाइलेंस से प्राप्त आय एवं जमा को रोकड़ पुस्त में अंकित नही किया जाना धोर आपत्तिजनक :–

जिला कृषि कार्यालय,छपरा द्वारा थोक एवं खुदरा खाद बीज विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान किया जाता है जिससे अत्यधिक राशि लाइसेंस के निबंधन एवं नवीकरण के रूप में प्रत्येक वर्ष आय की रूप में प्राप्त होती है। उक्त आय एवं जमा से संबंधित लेखाभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नही कराया जाय। उल्लेखनीय है कि उक्त आय का लेखांकन रोकड़ पुस्त में नही किया जाता है जबकि नियमतः हरके आय एवं जमा की प्रविष्टि रोकड़ पुस्त में किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार निबंधन एवं लाइसेस के नवीनीकरण अंकेक्षित वित्तीय वर्षो में कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि जमा की गई इसका आकलन नही किया जा सका। इस तरह से प्राप्त आय का लेखांकन रोकड़ पुस्त में नही किए जाने के कारण राशि के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नही किया जा सकता है। इसकी ओर सरकार एवं प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उक्त प्रकार से प्राप्त आय एवं जमा का लेखांकन अविलंब रोकड़ पुस्त में किए जाने का सुझाव दिया जाता है। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(18) रू0 41,43,791.00 का अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया जाय घोर आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 05–06 से 07–08 के अंकेक्षण क्रम में जिला कृषि कार्यालय,द्वारा रू0 41,43791.00 के व्यय से संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। उक्त अप्रस्तुत अभिश्रवों की विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'आ' पर दिया गया है। अंकेक्षण में अप्रस्तुत रहने के कारण उक्त व्यय की जाँच नही हो सका। इस ओर सरकार एवं प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त अभिश्रव द्वारा व्यय के औचित्य की जाँच कर ली जाय। जाँच प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत काराया जाय तबतक व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

(19) रू0 12,26,293.46 पै0 को रोकड़ पुस्त के अवशेष राशि जमा योग्य :–

वर्ष 2005–06 से 07–08 के रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के विस्तार की जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक 1.4.05 के प्रारंभण रोकड़ में विभिन्न मनी रसीदो द्वारा प्राप्त आय की कुल राशि रू0 12,26,293.46 पै0 अद्यतन रोकड़ पुस्त में शेष के रूप में पड़ा

हुआ है जिसे बहुत पहले ही सरकारी कोष के उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा कर देना चाहिए था। लेकिन संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जमा नही किया गया। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का कोई उत्तर नही दिया गया। सम्बद्ध सक्षम पदाधिकारी के उक्त कर्त्तव्यहीनता की ओर सरकार एवं प्रशासी विभाग के उच्चधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त आय की राशि रू0 12,26,293.46 पै0 को अविलंब सरकारी कोष के उचित शीर्ष अन्तर्गत जमाकर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय।

उपर्युक्त राशि का विवरण निम्नप्रकार दिखाया गया है।

1.	रोकड़ पंजी पृष्ट सं0 – 69(2002–03) पर वर्णित राशि	– 8,53,555.46
2.	कार्यालय मनी रसीद सं0 – 590025 / 21.8.04	– 2938.00
3.	कार्यालय मनी रसीद सं0 – 590030 / 17.11.04	– 1500.00
4.	कार्यालय मनी रसीद सं0 – 578269 / 22.1.96	– 3,68,300.00
	कुल योग	**– 12,26,293.46**

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>

(1)

(2)

परिशिष्ट 'अ'

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका 1(ट) से संबंधित)

अंकेक्षण में प्रस्तुत लेखाभिलेखों की सूची :–

1. रोकड़ पुस्त
2. विपत्र पंजी

3. वेतन भुगतान पंजी
4. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
5. आकस्मिकता पंजी
6. रेमिटेन्स पंजी
7. अस्थायी सामानों की भंडार पंजी
8. अग्रिम पंजी
9. चेक रजिस्टर
10. यात्रा भत्ता विपत्रों कार्यालय प्रतियाँ
11. आकस्मिकता अभिश्रवों की रक्षी सेविका।
12. जीप के मरम्मति से संबंधित अभिश्रवों की रक्षी संचिका
13. जीप का लाँग बुक
14. सेवा पुस्त (आंशिक)
15. सोनपुर मेला से संबंधित अभिश्रवों की रक्षी संचिका।
16. योजनाओं से संबंधित अभिश्रवों की रक्षी संचिका (आंशिक)

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. आवंटन एवं व्यय पंजी
2. सेवा पुस्त
3. योजनाओ से संबंधित अभिश्रवों की रक्षी संचिका
4. स्थायी सामानों का भंडार पंजी
5. लाइसेंस से प्राप्त आय की संचिका।
6. लॉगबुक – 2005–06